कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 **(0135)** – **2713551**

फैक्स न0 **(0135) -2713724**,

संख्या–1766 / **XXV**– 12(**P**-11)/2021 देहरादून : दिनांक 08 फरवरी, 2022

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री राकेश कुमार, खसरा नं0–534, डॉ अम्बेडकर बस्ती ग्राम व पोस्ट अबुपुर जनपद–गाजियाबाद, उ0प्र0 का पत्र दिंनाक 02.02..2022 जो इस कार्यालय में दिनांक 07.02.2022 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि चाही गयी सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि। भवदीय,

B S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या– 1766 / **XXV**– 12(11) /2021 , तददिनांक।

प्रतिलिपि– श्री राकेश कुमार, खसरा नं0–534, डॉ अम्बेडकर बस्ती ग्राम व पोस्ट अबुपुर जनपद–गाजियाबाद, उ0प्र0 **Email-ID rakeshpradhang@gmail.com** को सूचनार्थ प्रेषित।

B S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

7/2/22

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विश्वकर्मा भवन, 04 सुभाष रोड
देहरादून (उत्तराखण्ड)–248001

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में:–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निम्न प्राविधान किये गये है।

आर्टिकल 324(1) के अनुसार " इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान–मण्डल के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा।" (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है)

1. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप 80 वर्ष से अधिक आयु और विकलांग व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखण्ड में होने वाले मतदान में इस सुविधा का लाभ उठाने वाले कितने मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने का विकल्प(आवेदन) चुना है उनकी विधानसभावार संख्या बतायी जाये।
2. उत्तराखण्ड के विधानसभाओं में होने वाले मतदान के संबंध में चुनाव ड्यूटी वाले कुल कितने लोकसेवकों ने बैलेट पेपर से मतदान किया। विधानसभावार उनकी संख्या बतायी जाये।
3. 80 वर्ष से अधिक आयु और विकलांग व्यक्तियों के घर–घर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान कराने में किस–किस पार्टी/निर्दलीय प्रत्याशिओं के एजेन्ट मौजूद रहे, उनके विधानसभावार नाम बताये जाये।
4. मतगणना करते समय ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट से निकली पर्चियों का मिलान करने की नियमावली दी जाये और उस नियम की प्रति भी उपलब्ध करायी जाये जिसके तहत मतगणना के बाद हारने वाले प्रत्याशी एवं उनके मतगणना एजेन्ट मतगणना स्थल से चले जाने के बाद वी0वी0पैट पर्चियों का मिलान ई0वी0एम में संरक्षित वोटो से किया जाता है।
5. स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतगणना कराने के लिए मतगणना से असंतुष्ट कोई प्रत्याशी ई0वी0एम में संरक्षित वोट एवं वी0वी0पैट से निकली पर्चियों की गिनती कराना चाहता है उसके लिए प्रभावी नियमावली उपलब्ध कराई जाये और यह भी अवगत कराया जाये कि यह अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी को है अथवा नहीं।
6. शुद्धता से मतदाता सूची बनने के संबंध में उत्तराखण्ड के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों से जो प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने लिए उन सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध कराई जाये।

उपरोक्त सूचना प्रार्थी के संवैधानिक लिगल अधिकार से संबंधित है जिससे प्रार्थी के सारे अधिकार सुरक्षित होते है इसलिए प्रार्थी के जीवन–मरण से संबंधित है 48 घण्टे में दी जाये।

शुल्क के रूप में रुपये 10 का पोस्टल आर्डर सं० – 51F 950492 संलग्न है।

दिनाँकः–02–02–2022

राकेश कुमार
खसरा नं0 534, डा0 अम्बेडकर बस्ती ग्राम व पोस्ट अबुपुर
जनपद गाजियाबाद , उ0प्र0 201206
मोबाईल नम्बर–9997411085
ई0मेल– rakeshpradhang@gmail.com